न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर०ए०एस०
राजस्व वाद संख्या : 330/2019 (235/2019)
GCMS NO. : 2018/00121

–: वादीगण :– **बनाम** **–: प्रतिवादी :–**

1. गोपाराम पुत्र गुणाराम
2. भुराराम पुत्र गुणाराम
3. ओमप्रकाश पुत्र गुणाराम
4. मदनलाल पुत्र गुणाराम
5. राजूराम पुत्र गुणाराम

जातियान–सीरवी निवासीगण–गरनिया तहसील जैतारण जिला पाली।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जैतारण।

राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू:.25/09/2019

उपस्थितः– 1. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता वादीगण।
2. तहसीलदार, जैतारण।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 28/07/2022**

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत् विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि राजस्व मौजा लाखासनी पटवार हल्का पाटवा तहसील जैतारण जिला पाली में वादीगण एवं अन्य सह हिस्सेदारों की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 32 रकबा 0–18 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 36 रकबा 3–03 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 22/5 रकबा 2–05 बीघा, खसरा नम्बर 22/6 रकबा 0–09 बीघा, खसरा नम्बर 24/9 रकबा 0–07 बीघा, खसरा नम्बर 25 रकबा 0–01 बीघा, खसरा नम्बर 26 रकबा 1.08 बीघा का 1/6 वां हिस्सा व इनके अलावा खसरा नम्बर 22/3 रकबा 06–10 बीघा, खसरा नम्बर 22/7 रकबा 05–10 बीघा, खसरा नम्बर 24/3 रकबा 04–12 बीघा, खसरा नम्बर 24/7 रकबा 05 बीघा की आई हुई है। विवादित भूमि के पूर्व में काबिज खातेदार एवं काश्तकार वादीगण के दादाजी लिखमाराम वल्द करनाजी थे। लिखमाराम का देहान्त होने पर जरिये फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 59 के जरिये उक्त विवादित भूमि वादीगण के दादा एवं उनके भाई क्रमशः गुणाराम, केशा, विरम पि० लिखमा के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई थी। लेकिन तत्कालीन हल्का पटवारी ने वादीगण के पिताजी का नाम गुणाराम के बजाय गणेशराम उक्त म्युटेशन में दर्ज कर दिया तथा इसी आधार पर [illegible] में गणेशराम नाम का अंकन कर दिया जबकि वास्तविकता में वादीगण के पिताजी का नाम गणेशराम नहीं होकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 14:16:13 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

गुणाराम था। इस प्रकार से राजस्व रेकर्ड में गलत प्रविष्टि हो गई थी। जिसे वादीगण जरिये घोषणा के दुरस्त करने के अधिकारी होने से यह वादपत्र घोषणा का पेश है। वादीगण के पिताजी के पहचान से सम्बन्धित दस्तावेज आधार कार्ड, चुनाव परिचय पत्र, राशन कार्ड में सही इन्द्राज गुणाराम पुत्र लिखमाराम है। तत्पश्चात वादीगण के पिताजी गुणाराम का देहान्त दिनांक 10.07.2016 को होने पर जरिये फौतेदगी म्युटेशन संख्या 217 के जरिये उक्त भूमि वादीगण के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर दी गई। लेकिन उसमें भी वादीगण वल्दीयत गुणाराम की बजाय गणेशराम रख दी गई। जो कतई गलत है एवं उक्त गणेशराम नाम की वल्दीयत गलत रख देने की वजह से वादीगण अपना किसान कार्ड, बैंक से साख पत्र भी नहीं बनवा पा रहे है। इस बाबत् वादीगण ने हल्का पटवारी व तहसीलदार से अपनी वल्दीयत गणेशराम की बजाय गुणाराम किये जाने हेतु कई बार निवेदन किया है। लेकिन उन्होनें 10.08.2018 को इस प्रकार की दुरस्ती करने से इन्कार करते हुए इस सम्बन्ध में न्यायालय में वादपत्र पेश करने की हिदायत दी। इस प्रकार से वादीगण अपनी वल्दीयत को दुरस्त कराने के अधिकारी होने से यह वादपत्र बाबत् घोषणा का बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी के पेश है। प्रतिवादी भूमिधारी राजस्थान सरकार का प्रतिनिधि है। वादी का वाद अत्यन्त आवश्यक प्रवृति का होने से वादी ने धारा 80(2) सी.पी.सी. का प्रा.पत्र बाबत् अनुमति हेतु पेश किया है। बिनाय वाद दिनांक 10.08.2018 को हल्का पटवारी व तहसीलदार द्वारा इस वादपत्र में वर्णित भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादीगण की वल्दीयत गणेशराम की बजाय गुणाराम किये जाने हेतु वादीगण द्वारा निवेदन करने पर उनके द्वारा ऐसी दुरस्ती करने से इन्कार करते हुए न्यायालय में कार्यवाही करने हेतु आदेशित किये जाने पर ग्राम लाखासनी पटवार हल्का पाटवा तहसील जैतारण जिला पाली में पैदा हुआ। जो अन्दर म्याद एवं अदालत श्रीमान् के श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार में है।

इस पर वादीगण का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये नोटिस के तलब किया गया। प्रतिवादी ने जवाब दावा प्रस्तुत किया, जो सा.मि. है।

प्रतिवादी/तहसीलदार, जैतारण ने अपने जवाब दावा में कथन किया कि वादपत्र का पेरा संख्या 1 राजस्व रेकर्ड के आधार पर स्वीकार है। प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 कैम्प पाटवा में मजमे-आम में पूछताछ अनुसार वादी के पिता का नाम गुणाराम है। जिसे बोलचाल की भाषा में गणेशराम भी कहते है। मजमे आम में जांच अनुसार वादीगण के पिता का नाम गुणाराम दर्ज करना उचित है। वाद पत्र का पैरा संख्या 4 अस्वीकार है। प्रार्थी की इस्तदुआ गणेशराम के स्थान पर गुणाराम दर्ज किया जाना मजमे आम जांच अनुसार सही है।

वकील वादीगण ने वाद के समर्थन में वादी ओमप्रकाश पुत्र गुणाराम का एवं अन्य गवाह मंगलाराम पुत्र लादुराम के साक्ष्य के शपथ पत्र पेश किये, दस्तावेजात् प्रदर्श करवाये, जो शा0मि0 है। बहस उभयपक्ष राजस्व वाद बाबत् घोषणा अर्न्तगत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई।

पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। बहस उभयपक्ष पर गौर कर [illegible] ग्राम लाखासनी की जमाबन्दी संवत् 2072-2075 (प्रदर्श-1, प्रदर्श-2, प्रदर्श-3, प्रदर्श-4) के खसरा नम्बर 32 रकबा

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 14:16:13 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

0–18 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 36 रकबा 3–03 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 22/5 रकबा 2–05 बीघा, खसरा नम्बर 22/6 रकबा 0–09 बीघा, खसरा नम्बर 24/9 रकबा 0–07 बीघा, खसरा नम्बर 25 रकबा 0–01 बीघा, खसरा नम्बर 26 रकबा 1.08 बीघा, खसरा नम्बर 22/3 रकबा 06–10 बीघा, खसरा नम्बर 22/7 रकबा 05–10 बीघा, खसरा नम्बर 24/3 रकबा 04–12 बीघा, खसरा नम्बर 24/7 रकबा 05 बीघा में 'गोपाराम, भूराराम, ओमप्रकाश, मदनलाल, राजूराम पि0 गणेश' के नाम की प्रविष्टि दर्ज है। चौसाला जमाबन्दी संवत् 2034–2042 (प्रदर्श–5), संवत् 2035–2038 (प्रदर्श–6) एवं नामान्तरकरण पंजिका (प्रदर्श–7, प्रदर्श–8) की प्रति में भी 'गोपाराम, भूराराम, ओमप्रकाश, मदनलाल, राजूराम पि0 गणेश' के नाम की प्रविष्टि दर्ज है। अतः प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन निम्नानुसार है–

1. वादी ओमप्रकाश पुत्र गुणाराम के साक्ष्य शपथ–पत्र P/W 01 के अनुसार वादीगण के पिताजी का नाम गणेशराम नहीं होकर गुणाराम था। वादी ने यह कथन किया कि वादीगण के दादाजी लिखमाराम वल्द करनाजी थे। लिखमाराम जी का देहान्त होने पर जरिये फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 59 के जरिये क्रमशः गुणाराम, केशा, विरम पिसरान लिखमा के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई लेकिन तत्कालीन पटवारी द्वारा वादीगण के पिताजी का नाम गुणाराम की बजाय गणेशराम म्युटेशन में दर्ज कर दिया तथा इसी आधार पर राजस्व रेकर्ड में गणेशराम नाम अंकन कर दिया जबकि वास्तविकता में वादीगण के पिताजी का नाम गणेशराम नहीं होकर गुणाराम था। वादीगण के पिताजी के देहान्त के बाद जरिये फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 217 के जरिये उक्त भूमि हम वादीगण के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर दी गई लेकिन उसमें भी वादीगण के वल्दियत गुणाराम की बजाय गणेशराम रख दी गई, जो कतई गलत है। वादीगण के पिता का सही व वास्तविक नाम एवं दस्तावेजी नाम गुणाराम है जो राजस्थान सरकार द्वारा जारी राशन कार्ड, आधार कार्ड, निर्वाचन विभाग का पहचान–पत्र, मृत्यु प्रमाण–पत्र, हकतर्कनामा आदि में भी यही दर्ज है। वादी ने वाद–पत्र में सशपथ यह कथन किये कि वादीगण के पिता का वास्तविक नाम गुणाराम है जबकि राजस्व रेकर्ड में गणेशराम दर्ज होने से वादीगण अपना किसान कार्ड, बैंक से साख पत्र भी नहीं बनवा पा रहे है। अन्य शहादत में गवाह मंगलाराम पुत्र लादूराम का साक्ष्य शपथ–पत्र P/W 02 प्रस्तुत किया। गवाह मंगलाराम ने अपने शपथ–पत्र P/W 02 में यह सशपथ कथन किये कि ''मैं वादीगण एवं उनके परिवार को भलीभांति जानता व पहचानता हुँ। वादीगण के दादा जी लिखमाराम वल्द करनाजी थे। लिखमाराम जी का देहान्त होने पर जरिये फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 59 के जरिये क्रमशः गुणाराम, केशा, विरम पिसरान लिखमा के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई लेकिन तत्कालीन पटवारी द्वारा वादीगण के पिताजी का नाम गुणाराम की बजाय गणेशराम म्युटेशन में दर्ज कर दिया तथा इसी आधार पर राजस्व रेकर्ड में गणेशराम नाम अंकन कर दिया जबकि वास्तविकता में वादीगण के पिताजी

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 14:16:13 IST
Reason: SelfAttested

का नाम गणेशराम नहीं होकर गुणाराम था। वादीगण के पिताजी के देहान्त के बाद जरिये फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 217 के जरिये उक्त भूमि हम वादीगण के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर दी गई लेकिन उसमें भी वादीगण के वल्दियत गुणाराम की बजाय गणेशराम रख दी गई, जो कतई गलत है।''

2. प्रदर्श दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रदर्श–9ए (राशन कार्ड), प्रदर्श–10ए (गुणाराम जी का निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान–पत्र), प्रदर्श–11ए (गुणाराम जी का आधार कार्ड), प्रदर्श–12ए (गुणाराम जी का मृत्यु प्रमाण–पत्र) एवं प्रदर्श–13ए (हकतर्कनामा) उक्त दस्तावेजो में वादीगण के पिता का नाम गुणाराम है।

3. प्रतिवादी तहसीलदार द्वारा जवाब दावा में यह स्पष्ट किया गया कि सरहद मौजा लाखासनी तहसील जैतारण में मजमे आम में जांच अनुसार वादीगण के पिता का नाम गुणाराम है जिसे बोलचाल की भाषा में गणेशराम भी कहते है। प्रशासन गावों के संग अभियान, 2021 केम्प पाटवा में मजमे आम में पूछताछ करने एवं प्रार्थीगण के सभी साक्ष्य दस्तावेजों अनुसार वादीगण के पिता का नाम गुणाराम है। अतः वादीगण के पिता का नाम गणेश्राम के बजाय गुणाराम दर्ज किया जाना उचित है।

इस प्रकार तहसीलदार जैतारण के जवाब दावा एवं वादीगण के शपथ–पत्र एवं गवाह स्वयं वादी ओमप्रकाश पुत्र गुणाराम एवं अन्य गवाह मंगलाराम पुत्र लादुराम का शपथ–पत्र एवं प्रदर्श दस्तावेजात के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त आराजी के खसरा नम्बर 32 रकबा 0–18 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 36 रकबा 3–03 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 22/5 रकबा 2–05 बीघा, खसरा नम्बर 22/6 रकबा 0–09 बीघा, खसरा नम्बर 24/9 रकबा 0–07 बीघा, खसरा नम्बर 25 रकबा 0–01 बीघा, खसरा नम्बर 26 रकबा 1.08 बीघा, खसरा नम्बर 22/3 रकबा 06–10 बीघा, खसरा नम्बर 22/7 रकबा 05–10 बीघा, खसरा नम्बर 24/3 रकबा 04–12 बीघा, खसरा नम्बर 24/7 रकबा 05 बीघा ग्राम लाखासनी पटवार हल्का पाटवा के भू–अभिलेख में दर्ज वादीगण के पिता की प्रविष्टि गोपाराम, भूराराम, ओमप्रकाश, मदनलाल, राजूराम पि0 गणेशराम के स्थान पर वादीगण के दस्तावेजों में दर्ज अनुसार पिता का सही एवं वास्तविक नाम गुणाराम है। अतः वादग्रस्त आराजी के भू–अभिलेख में दर्ज प्रविष्टि 'गोपाराम पुत्र गणेश, भूराराम पुत्र गणेश, ओमप्रकाश पुत्र गणेश, मदनलाल पुत्र गणेश, राजूराम पुत्र गणेश' दर्ज है वहाँ उसके स्थान पर 'गोपाराम पुत्र गुणाराम, भूराराम पुत्र गुणाराम, ओमप्रकाश पुत्र गुणाराम, मदनलाल पुत्र गुणाराम, राजूराम पुत्र गुणाराम' किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादीगण स्वीकार कर डिक्री किया जाना उचित एवं विधि संगत होगा।

–:: आदेश ::–

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 14:16:13 IST
Reason: SelfAttested

अतः उपर्युक्त विवेचन के [illegible] में निष्कर्षतः वाद वादीगण अंतर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम [illegible] बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा लाखासनी पटवार

सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

हल्का पाटवा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र बैडकलां तहसील जैतारण में खसरा नम्बर 32 रकबा 0–18 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 36 रकबा 3–03 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 22/5 रकबा 2–05 बीघा, खसरा नम्बर 22/6 रकबा 0–09 बीघा, खसरा नम्बर 24/9 रकबा 0–07 बीघा, खसरा नम्बर 25 रकबा 0–01 बीघा, खसरा नम्बर 26 रकबा 1.08 बीघा, खसरा नम्बर 22/3 रकबा 06–10 बीघा, खसरा नम्बर 22/7 रकबा 05–10 बीघा, खसरा नम्बर 24/3 रकबा 04–12 बीघा, खसरा नम्बर 24/7 रकबा 05 बीघा के **भू–अभिलेख में** वादीगण के पिता का नाम ***गणेश*** अंकित है उसे विलोपित करते हुये सही व वास्तविक नाम की निम्न प्रविष्टियाँ– ***'गोपाराम पुत्र गणेश'*** *के स्थान पर* ***'गोपाराम पुत्र गुणाराम', 'भूराराम पुत्र गणेश'*** *के स्थान पर* ***'भूराराम पुत्र गुणाराम', 'ओमप्रकाश पुत्र गणेश'*** *के स्थान पर* ***'ओमप्रकाश पुत्र गुणाराम', 'मदनलाल पुत्र गणेश'*** *के स्थान पर* ***'मदनलाल पुत्र गुणाराम'*** *एवं* ***'राजूराम पुत्र गणेश'*** *के स्थान पर* ***'राजूराम पुत्र गुणाराम'*** को दर्ज करते हुये इस आशय की घोषणा की जाती है। तदनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो। अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। इसी मुताबिक डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो जो इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कद्र निर्णित होकर संख्या से एक होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 28/07/2022 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),जैतारण
जिला–पाली (राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 14:16:13 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ऑर्डर 21 रूल्स 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), मुकामः– जैतारण
बईजलास :– डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर०ए०एस०

–: वादीगण :–	बनाम	–: प्रतिवादी :–
1. गोपाराम पुत्र गुणाराम 2. भुराराम पुत्र गुणाराम 3. ओमप्रकाश पुत्र गुणाराम 4. मदनलाल पुत्र गुणाराम 5. राजूराम पुत्र गुणाराम जातियान–सीरवी निवासीगण– गरनिया तहसील जैतारण जिला पाली।		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जैतारण।

मु०न० :रा०वा०स०– 330/2019 (235/2018)

राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 रा.का.अधि., 1955

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....–....... व हाजरी श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, वादीगण मिनजानिब मुद्धई व तहसीलदार जैतारण, प्रतिवादी मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा लाखासनी पटवार हल्का पाटवा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र बैडकलां तहसील जैतारण में खसरा नम्बर 32 रकबा 0–18 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 36 रकबा 3–03 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 22/5 रकबा 2–05 बीघा, खसरा नम्बर 22/6 रकबा 0–09 बीघा, खसरा नम्बर 24/9 रकबा 0–07 बीघा, खसरा नम्बर 25 रकबा 0–01 बीघा, खसरा नम्बर 26 रकबा 1.08 बीघा, खसरा नम्बर 22/3 रकबा 06–10 बीघा, खसरा नम्बर 22/7 रकबा 05–10 बीघा, खसरा नम्बर 24/3 रकबा 04–12 बीघा, खसरा नम्बर 24/7 रकबा 05 बीघा के **भू–अभिलेख में** वादीगण के पिता का नाम ***गणेश*** अंकित है उसे विलोपित करते हुये सही व वास्तविक नाम की निम्न प्रविष्टियाँ– ***'गोपाराम पुत्र गणेश'*** *के स्थान पर* ***'गोपाराम पुत्र गुणाराम', 'भूराराम पुत्र गणेश'*** *के स्थान पर* ***'भूराराम पुत्र गुणाराम', 'ओमप्रकाश पुत्र गणेश'*** *के स्थान पर* ***'ओमप्रकाश पुत्र गुणाराम', 'मदनलाल पुत्र गणेश'*** *के स्थान पर* ***'मदनलाल पुत्र गुणाराम'*** *एवं* ***'राजूराम पुत्र गणेश'*** *के स्थान पर* ***'राजूराम पुत्र गुणाराम'*** को दर्ज करते हुये इस आशय की घोषणा की जाती है। तदनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो। अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक होकर दाखिल दफ़्तर हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.......खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ...–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 31/05/2022 को जारी किया गया।

मोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 14:16:13 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),जैतारण
जिला–पाली (राज०)

मुद्धई	रुपये पैसे	मुद्धायलाह	रुपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	4.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वकालतनामा	1.00	स्टाम्प अर्जी	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	0.00	महनताना वकील	0.00
महनताना वकील	0.00	खर्चा गवाहान	0.00
खर्चा गवाहान	2.00	फीस कमीश्नर	0.00
फीस कमीश्नर	0.00	बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00
बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00	मुत्फरिक	0.00
मिजानः–	07.00	मिजानः–	0.00

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 14:16:13 IST
Reason: SelfAttested